हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नया रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय परिसर में केंटीन संचालन हेतु निविदा की शर्ते एवं प्रपत्र

नया रायपुर, दिनांक 26.05.2017

निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथिः 27.06.2017 सायं 5.00 बजे तक
पूरित किये गये प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथिः 28.06.2017 सायं 5.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथिः 29.06.2017 प्रातः 11.00 बजे
स्थान – विश्वविद्यालय सभाकक्ष, नया रायपुर (छ.ग.)

टेंडर फार्म मूल्य – रु.5000/–

(कुल पन्ने की संख्या – 09)

नोटः– निविदाकर्त्ता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पन्ने पर अपने हस्ताक्षर करें।

—:: विश्वविद्यालय परिसर में केंटीन संचालन हेतु निविदा प्रपत्र ::—

कार्य का विवरण :— **नया रायपुर स्थित विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित केंटीन का संचालन ।**

अमानत राशिः— **रू.2,00,000/— (रुपये दो लाख) का बैंक ड्राफ्ट कुलसचिव, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नया रायपुर के नाम से देय हो ।**

निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि	:	27.06.2017 सायं 5.00 बजे तक
पूरित किए गए निविदा प्रपत्र जमा करने की:		
अंतिम तिथि	:	28.06.2017 सायं 5.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि	:	29.06.2017 प्रातः 11.00 बजे
स्थान	:	विश्वविद्यालय सभाकक्ष, नया रायपुर

निविदा की शर्तें

1. निविदा प्रपत्र के साथ आवेदन शुल्क के रूप में जमा किये गये बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति संलग्न की जाए।

2. केंटीन निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में रू.2,00,000/— (रूपये दो लाख मात्र) जमा करना अनिवार्य है। अमानत राशि कुलसचिव/रजिस्ट्रार, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नया रायपुर (छ.ग.) के नाम देय डिमांड ड्रॉफ्ट के रूप में जमा करना है।

3. सफल निविदाकार को रु.3,00,000.00 (रुपये तीन लाख मात्र) की प्रतिभूति राशि कुलसचिव/रजिस्ट्रार, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के नाम देय डिमांड ड्रॉफ्ट के रूप में जमा कराना होगा। सफल निविदाकार की अमानत राशि रु. 2,00,000/— (रुपये दो लाख) प्रतिभूति राशि में समायोजित की जा सकेगी।

4. निविदाकार जिन्होंने पूर्व में विश्वविद्यालय में केंटीन संचालन का कार्य लिया है किन्तु उनकी सेवाएं संतोषजनक नहीं रही हैं, ऐसे निविदाकारों की निविदाएं स्वीकार्य नहीं होंगी।

5. मेस के साथ पूर्व से संचालित केंटीन की निविदा यथावत रहेगी एवं उसका इस निविदा से कोई सरोकार नहीं है।

6. यह निविदा विश्वविद्यालय द्वारा नव—निर्मित केंटीन भवन के लिए है। उक्त भवन में से दो कक्ष प्रोव्हीजन स्टोर एवं लान्ड्री हेतु आरक्षित है एवं यह दो कक्ष इस निविदा की परिधि से बाहर हैं जो कि विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार उपरोक्त अथवा अन्य कार्यों हेतु उपयोग में लाए जा सकेंगे। इन दो कक्षों का उपयोग केंटीन निविदाकार के द्वारा किसी भी रूप में नहीं किया जाएगा।

7. निविदाकार को केंटीन भवन में इस निविदा के माध्यम से केंटीन संचालन हेतु उपलब्ध कराए जा रहे स्थान का न्यूनतम किराया रु.10,000/— प्रतिमाह (राशि रुपये दस हजार प्रतिमाह) विश्वविद्यालय द्वारा तय किया गया है। इसके अतिरिक्त निविदाकार को प्रतिमाह बिजली बिल एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित जल शुल्क प्रतिमाह भुगतान करना होगा।

8. इसके अतिरिक्त निविदाकार को विश्वविद्यालय द्वारा केंटीन संचालन हेतु उपलब्ध कराए गए स्थान/संपूर्ण केंटीन भवन की साफ–सफाई स्वयं के कर्मचारियों/व्यय से करानी होगी । साथ ही केंटीन संचालन के दौरान बची हुई खाद्य–सामग्री/कचरा इत्यादि विश्वविद्यालय परिसर से प्रतिदिन बाहर ले जाकर नष्ट करना होगा।

9. यदि एक बार सफल निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय द्वारा ठेके का प्रस्ताव दिया जाता है एवं संबंधित निविदाकर्ता अपनी स्वीकृति के उपरांत निविदा निष्पादित करने में असफल होता है अथवा निविदा वापस लेना चाहता है, तो ऐसी दशा में उसके द्वारा जमा की गई अमानत की राशि विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

10. मेस का ठेका प्रारंभिक तौर पर 01 वर्ष के लिए दिया जाएगा जिसे वार्षिक कार्य के संतोषजनक निष्पादन के आधार पर विश्वविद्यालय प्रषासन द्वारा पुनः एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। कालावधि में ऐसा विस्तार अधिकतम तीन वर्ष के लिए किया जा सकेगा।

11. ठेके की कालावधि के दौरान ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारियों की लापरवाही/चूक/त्रुटि या अन्यथा कारण से विश्वविद्यालय को हुई हानि या अधिरोपित जुर्माने की राशि को प्रतिभूति राशि में से समायोजित किया जा सकेगा। ठेका समाप्त होने पर संबंधित शाखा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर प्रतिभूति राशि लौटाई जाएगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

12. ऐसे निविदाकर्त्ता जिनकी निविदाएँ विश्वविद्यालय द्वारा अस्वीकृत की जाती है, उनकी अमानत राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् एवं एक माह में लौटाई जा सकेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

13. ठेकेदार की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति होना आवश्यक है । आयकर विभाग में विगत 03 वर्षो में जमा किये गये आयकर–रिटर्न की सत्यापित प्रतिलिपि तथा आयकर का PAN (परमानेंट एकाउन्ट नंबर) प्रस्तुत करना होगा ।

14. निविदा खोलते समय निविदाकार या उसका एक अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेगा।

15. निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कुलपति महोदय को होगा। निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।

16. पूर्व में 5 वर्ष अथवा विगत 3 वर्षो से निरंतर शैक्षणिक छात्रावासों (जिसमें छात्र–छात्राओं की संख्या कम–से–कम 400 हो) में केंटीन का उत्तम ढंग से संचालन करने का संबंधित संस्था द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र (निविदा खोले जाने के समय तक) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

17. केंटीन संचालन हेतु ठेकेदार को उपयुक्त संख्या में कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।

18. केंटीन ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय से अपने कर्मचारियों/खानसामों को स्वच्छ, निर्धारित यूनिफार्म, परिचय–पत्र अनिवार्यतः प्रदान करेगा।

19. विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु ठेकेदार बाध्य होगा।

20. केंटीन की रसोई तथा कक्षों/हॉल में स्वच्छता बनाए रखने तथा कीट–पतंगों इत्यादि को रोकने के लिए किए जाने वाले समस्त उपायों का उत्तरदायित्व केंटीन ठेकेदार का होगा।

21. केंटीन ठेकेदार अपने स्वयं के व्यय पर केंटीन में विद्युत व्यवस्था हेतु सब–मीटर लगवाएगा एवं उसके आधार पर विद्युत व्यय का भुगतान करेगा अथवा विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा निर्धारित विद्युत व्यय का प्रतिमाह भुगतान करेगा। केंटीन ठेकेदार को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित जल–शुल्क एवं केंटीन का किराया प्रतिमाह अनिवार्य रूप से भुगतान करना होगा।

22. केंटीन ठेकेदार को केंटीन में पर्याप्त संख्या में अग्निशामक यंत्र रखने होंगे तथा इन उपकरणों का समुचित रख–रखाव सुनिश्चित किया जाएगा एवं उनका समय–समय पर निरीक्षण / परीक्षण भी करना होगा ताकि आगजनी घटित होने पर त्वरित गति से काबू पाया जा सके। ऐसा न कर सकने की स्थिति में आग इत्यादि या किसी भी दुर्घटना से कारित होने वाली हानि का पूर्ण दायित्व मेस ठेकेदार का होगा एवं उसकी क्षतिपूर्ति केंटीन ठेकेदार द्वारा की जाएगी।

23. केंटीन ठेकेदार द्वारा केंटीन संचालन हेतु स्वयं का तथा समय–समय पर लगाए जाने वाले कर्मचारियों / खानसामों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र सूचिबद्ध रूप से कार्य प्रारंभ करते समय तथा समय–समय पर विश्वविद्यालय प्रबंधन को सौंपेगा एवं उसकी पावती लेगा।

24. केंटीन ठेकेदार अपने कर्मचारियों के ठहरने की व्यवस्था स्वयं के व्यय से विश्वविद्यालय के बाहर करेगा एवं केंटीन भवन में नहीं ठहराएगा और यदि उपलब्धता एवं आवेदन के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हें किसी प्रकार की निवास व्यवस्था प्रदान करता है तो उसका किराया, विद्युत एवं अन्य व्यय मेस ठेकेदार के मासिक देयकों से कटौती करेगा। इन कटौतियों की राशि / दर का निर्धारण पूर्णतः विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा जिसे ठेकेदार देने हेतु बाध्य होगा।

25. जिस निविदाकार के पक्ष में कार्यादेश जारी किया जाता है उसे ही केंटीन संचालन का कार्य करना होगा एवं यह कार्य अहस्तांतरणीय होगा।

26. छात्र–छात्राओं को केंटीन में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करने का उत्तरदायित्व केंटीन ठेकेदार का होगा। इस हेतु वाटर–प्यूरिफायर एवं वाटर कूलर उपकरण भी केंटीन ठेकेदार को स्वयं के व्यय से लगाना होगा तथा उसके रख–रखाव भी करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में, विश्वविद्यालय द्वारा वाटर–प्यूरिफायर एवं वाटर कूलर उपकरण खरीद कर लगाया जाएगा एवं इन उपकरणों के क्रय एवं रखरखाव हेतु जो भी खर्च होगा वह केंटीन ठेकेदार से वसूला जाएगा।

27. विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा समय–समय पर केंटीन का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकेगा। ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक सामग्री का संधारण / विक्रय किया जाना पाया जाता है तो विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा स्वविवेक से ठेकेदार पर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी या ठेकेदार को अयोग्य घोषित कर ठेका निरस्त किया जाकर अमानत राशि राजसात (जप्त) की जाएगी।

28. केंटीन ठेकेदार जो भी सामग्री विक्रय करेगा तथा जिस कीमत पर बेचेगा उसकी पूर्व स्वीकृति लिखित में विश्वविद्यालय से प्राप्त करनी होगी। इसके अलावा केंटीन ठेकेदार किसी भी स्थिति में एम.आर.पी. (अधिकतम खुदरा मूल्य) से अधिक में कोई वस्तु विक्रय नहीं करेगा। यदि ठेकेदार इसमें कोई चूक करता है तो विश्वविद्यालय प्रबंधन स्वविवेक से ठेकेदार पर शास्ति अधिरोपित कर सकता है या विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा ठेकेदार को अयोग्य घोषित कर ठेका निरस्त किया जाकर अमानत राशि राजसात (जप्त) की जाएगी।

29. केंटीन ठेकेदार को केंटीन के लिए बढ़िया क्वालिटी के तथा स्वच्छ बर्तनों की व्यवस्था करनी होगी।

30. केंटीन ठेकेदार को केंटीन में एक शिकायत पंजी रखनी होगी एवं शिकायतों का निराकरण यथासमय कर विश्वविद्यालय प्रबंधन को सूचित करना होगा अन्यथा विश्वविद्यालय प्रबंधन ठेकेदार पर शास्ति अधिरोपित कर सकता है या ठेकेदार को अयोग्य घोषित कर ठेका निरस्त किया जाकर अमानत राशि राजसात (जप्त) की जाएगी।

31. विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों/आयोजनों के लिए मेस ठेकेदार द्वारा चाय, नाश्ते, भोजन की इत्यादि व्यवस्था आदेशानुसार उचित मूल्य पर करनी होगी।

32. निविदाकार किसी भी परिस्थिति में कोई भी वस्तु यदि एम.आर.पी. (अधिकतम खुदरा मूल्य) अंकित है तो उससे अधिक दर पर विक्रय नहीं करेगा।

33. **विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस (अतिथि गृह) में समय–समय पर आने वाले अतिथियों के नाश्ते एवं सत्कार व्यवस्था विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार केंटीन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी। गेस्ट हाउस में नाश्ते एवं सत्कार व्यवस्था करने के एवज में ठेकेदार को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार देयकों का भुगतान किया जाएगा।**

34. केन्द्र/राज्य शासन द्वारा 01 जुलाई 2017 से गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.) संपूर्ण भारत वर्ष में लागू किया जाना प्रस्तावित है एवं यदि शासन की अधिसूचना अनुसार यदि इस सेवा पर भी जी.एस.टी. लागू होता है तो निविदाकार/ठेकेदार जी.एस.टी. में तत्काल अपना पंजीयन करवाएगा एवं जी.एस.टी. पंजीयन से संबंधित समस्त दस्तावेज एवं समय–समय पर जी.एस.टी. अदा करने संबंधी आवष्यक दस्तावेजों/रिटर्न्स/चालानों की प्रतियां विष्वविद्यालय को अभिलेखों हेतु जमा करने के लिए बाध्य होगा।

35. केंटीन की व्यवस्था, रखरखाव एवं संचालन आदि के सिलसिले में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा अनुशासनहीनता ठेकेदार अथवा उनके कर्मचारियों में पायी जाती है तो विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा स्व–विवेक से ठेकेदार पर शास्ति अधिरोपित की जा सकती अथवा अयोग्य घोषित कर ठेका तत्काल निरस्त किया जा सकेगा तथा अमानत राशि राजसात कर ली जाएगी।

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर

केन्टीन संचालन हेतु नियम एवं शर्ते

1. केंटीन निविदा के प्रति जमा की गई सुरक्षा निधि राशि रू.3,00,000/– (रू. तीन लाख मात्र) सफल निविदाकार को ठेका समाप्ति पर समुचित कटौती/समायोजित करने के पश्चात ही लौटाई जा सकेगी।
2. केंटीन ठेकेदार को बर्तन, गैस–स्टोव एवं सिलेण्डर की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ठेकेदार कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर का इस्तेमाल करेगा। केंटीन में उपयोग की गई बिजली के बिल का भुगतान ठेकेदार को हर माह नियमित रूप से करना होगा।
3. केंटीन ठेकेदार को आवश्यक बर्तनों (स्टेनलेस स्टील/उत्तम क्वालिटी के फाइबर) की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
4. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में यदि भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होगी तो तत्संबंधी आदेशानुसार व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी जिसका पृथक से भुगतान किया जाएगा ।
5. ठेकेदार एवं उनके कर्मचारियों का पूर्ण विवरण फोटो सहित विश्वविद्यालय प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा तथा स्थानीय पुलिस द्वारा जारी अच्छे चाल चलन का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
6. केंटीन में कार्यरत सभी कर्मचारियों को चर्म रोग तथा दमा–श्वास, टी.बी. आदि बीमारियों तथा किसी भी प्रकार की संक्रामक बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। इस आशय का सक्षम डॉक्टर द्वारा जारी प्रमाणपत्र (जो 1 माह से अधिक पुराना नहीं हो) प्रथम बार ठेकेदार द्वारा कार्य आरंभ करने के पूर्व पेश करना होगा। इसके बाद प्रत्येक 6 माह में पेश करना होगा।
7. बीमार कर्मचारियों से खाद्य सामग्री तैयार कराने या परोसने का काम नहीं लिया जाएगा। भोजन सामग्री तैयार करने तथा परोसने वाले कर्मचारियों को प्रतिदिन धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहनना आवश्यक होगा।
8. हाल में वॉश बेसिन में हाथ धोने हेतु समुचित साबुन/लिक्विड का प्रबंध एवं साफ–सफाई ठेकेदार को सुनिश्चित करना होगा।
9. केंटीन के किचन, कक्षों/हॉल, संलग्न टॉयलेट तथा केंटीन की एवं उसके आस–पास की प्रतिदिन साफ–सफाई सुनिश्चित करने का दायित्व केंटीन ठेकेदार का होगा। केंटीन ठेकेदार द्वारा बची हुई खाद्य सामग्री नालियों इत्यादि में नहीं बहाया जाएगा। केंटीन से होने

वाले कचरे/बची हुई खाद्य सामग्री को कैम्पस से बाहर अन्यत्र लेकर जाने की जिम्मेदारी केंटीन ठेकेदार की होगी।

10. केंटीन ठेकेदार तथा कार्यरत कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों का केंटीन में प्रवेश वर्जित होगा। विश्वविद्यालय परिसर में ठेकेदार तथा उसके कर्मचारियों द्वारा धुम्रपान करना या किसी भी प्रकार का नशा करना या नशे की हालत में काम करना या नशीली वस्तु रखना या प्राप्त करना या प्रदान करना वर्जित होगा।

11. केंटीन के संबंध में कोई भी विवाद होने पर विश्वविद्यालय प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा। केंटीन के सुचारू ढंग से संचालन हेतु विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा दिए गए निर्देशों का ठेकेदार द्वारा पालन करना आवश्यक होगा।

12. उपर्युक्त समस्त शर्तो के पालन करने की सहमति हेतु निविदा प्रपत्र के नीचे अपना नाम, पता एवं हस्ताक्षरकर सहमति लिखना होगा एवं निविदा प्रपत्र खरीदने हेतु पेश डिमांड ड्राफ्ट की फोटो प्रति निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा एवं सील बंद लिफाफा पर **केंटीन हेतु निविदा** अंकित कर निर्धारित तिथि/समय पर प्रस्तुत करना होगा ।

कुलसचिव
हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नया रायपुर

विश्वविद्यालय परिसर में केंटीन संचालन हेतु निविदा
शैक्षणिक सत्र 2015–16

01. केंटीन ठेका लेने वाले का नाम : ....
एवं उम्र : ....
पिता का नाम : ....
स्थायी पता : ....
....
....
दूरभाष क्रमांक / फैक्स नंबर (एस.टी.डी. कोड सहित) : ....

02. शैक्षणिक संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में केंटीन ठेका चलाने के आवश्यक अनुभव का विवरण।

शैक्षणिक संस्था का नाम एवं पूर्ण पता	अवधि		दूरभाष क्रमांक एस.टी.डी. कोड सहित
	कब से	कब तक	

नोट – (संबंधित संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

03. तीन वर्षो का **आयकर रिटर्न** तथा PAN (परमानेन्ट एकाउन्ट नंबर) की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें। यदि न हो तो निविदा खोलने के समय प्रस्तुत करें । : ....

04. अन्य (यदि आप कोई जानकारी देना चाहे) : ....

....

05. निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने हेतु पेश रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट का नंबर .... दिनांक .... जारीकर्ता बैंक ....

06. निविदा के साथ संलग्न कुलसचिव हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर को देय रुपए 2.00,000/— (रू. दो लाख मात्र) का अमानत राशि के प्रति बैक ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक ....

घोषणा –पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन पत्र की कंडिका क्रमांक – 01 से 06 तक में उल्लिखित समस्त जानकारियाँ पूर्णतः सत्य है ।

नया रायपुर स्थित हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित केंटीन संचालन की व्यवस्था करने के संबंध में मैंने संबंधित नियमों एवं शर्तों को गंभीरतापूर्वक पढ़कर/पढ़ाकर समझ लिया है तथा मुझे समस्त नियम एवं शर्तें मान्य हैं ।

स्थान : निविदा कर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक : नाम ....